सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 75/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

द्वारकादास पुत्र श्री भूरदास जाति साधू निवासी तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. घीसीदेवी पत्नि स्व. श्री रामेश्वर
2. गोविन्द पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
3. कमलेश पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
4. टीना पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
5. सोनू पुत्र श्री राधेश्याम
6. प्रिंस पुत्र श्री सीताराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति राजू पत्नि श्री सीताराम
   समस्त जाति साधू निवासीगण तसवारिया तहसील केकडी जिला अजमेर
7. कल्याण पुत्र हरनाथ
8. बद्रीलाल पुत्र हरनाथ
9. गोपाल पुत्र हरनाथ
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
10. तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बघेरा
12. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा केकड़ी
13. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा केकड़ी

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–30.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सलारी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 15 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 279, 280, 809 किता 3 कुल रकबा 0.81 हैक्ट. भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, तथा प्रतिवादी 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 273, 274, 278, 810, 829/1888 किता 5 कुल रकबा 0.75 हैक्ट. भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा है। खाता संख्या 129 खसरा नम्बर 808 रकबा 0.13 हैक्ट. भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा है। खाता संख्याा 16 खसरा नम्बर 826, 829 किता 2 कुल रकबा 2.14 हैक्ट भूमि में वादी का 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का 1/8 हिस्सा है। ,खाता संख्या 131 खसरा नम्बर 818, 819, 820, 821, 822 किता 5 कुल रकबा 2.30 हैक्ट भूमि में वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी 5 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 7 लगायत 9 का 1/8 हिस्सा है। खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 811, 812 किता 2 कुल रकबा 2.87 हैक्ट भूमि में वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 8 का 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पति/पिता रामेश्वर पुत्र कानदास का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ही रामेश्वर पुत्र कानदास के विधिक वारिसान है। वादवर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की पुश्तेनी तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की खरीदशुदा आराजीयात है जिसमें वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 9 अपने–अपने मौखिक बंटवारे के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। दिनांक 20.04.2018 को वादी अपने हिस्से की आराजीयात में हंकाई चुकाई करने गया तो मौके पर विवाद उत्पन्न हुआ व अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सलारी में पेश हुई जहां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6, 7 स्वयं उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान ने वादवर्णित आराजीयात का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा व मौका अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत राजीनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात होने से वादी का वाद प्राईमाफेसाई केस होना जाहिर होता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 15, 128, 129, 16, 131 व 130 में वर्णित भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौका अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी